# *न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर*

**अपील / डिक्री / टीए / 2004 / 4419 / जैसलमेर.**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उपनिवेशन नाचना–ा जिला जैसलमेर।

**.....अपीलार्थी**

**बनाम**

1– भूरसिंह पुत्र सिमरथ सिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. समन्द कंवर बेवा भूरसिंह,
1/2. मूलसिंह पुत्र भूरसिंह,
1/3. अर्जुन सिंह पुत्र भूरसिंह,
1/4. बाबूसिंह पुत्र भूरसिंह,
1/5. जगमाल सिंह पुत्र भूरसिंह,
1/6. गोपाल सिंह पुत्र भूरसिंह,
1/7. पुष्पा कंवर पुत्री भूरसिंह,

2– हुकम सिंह पुत्र सिमरथ सिंह,
समस्त जाति राजपूत निवासी टावरीवाला तहसील नाचना–ा जिला जैसलमेर।

**.....प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड–पीठ**
**श्री आर. डी. मीणा, सदस्य**
**श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य**

———

**उपस्थिति :–**
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी।
प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

———

**निर्णय** **दिनांक :– 19/12/24**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपील संख्या–191/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी वादी ने अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 15एएए (2क) व धारा 19 सपठित धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के तहत् न्यायालय उपायुक्त, उपनिवेशन नाचना के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम टावरीवाला स्थित आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा वादी के पिता के नाम दर्ज थी, किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त इन्द्राज को निरस्त कर दिया एवं वर्तमान में उक्त भूमि सरहद आपस में चिपती हुई होने से सरहद खारा में खेत खसरा संख्या 243 में चक 7 5 सीड ब्लूवी में आई, जिसके चकबन्दी में मुरब्बा नं. 133/51 के किला नं. 1 ता 12, 19 ता 25 रकबा 19 बीघा, मुरब्बा नं. 133/59 के किला नं. 1 ता 2, 9 ता 11 व 21 रकबा 6 बीघा मु0नं0 133/52 के किला नं. 3 ता 7 व 8 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 30 बीघा कमाण्ड एवं 1 बीघा अनकमाण्ड भूमि उक्त मुरब्बों में वादी की गैर खातेदारी की भूमि है, जिस पर उसका कब्जा काश्त समरी सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक चला आ रहा है, मौके पर ढाणी, पानी के कुण्ड बने हुए है एवं वह भूमि का लगान सरकार को अदा कर रहा है। अतः प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाये।

प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों से इंकारी करते हुए वाद अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की। योग्य विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर 06 तनकीयात कायम कर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील राज्य सरकार द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के न्यायालय में पेश की, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–6–2004 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्रीयों से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षों को सुना गया। दौराने बहस राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता श्रीनिवास बेनीवाल ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार हेतु उसे अपना कब्जा सन् 2012 से होना

साबित करना होता है, किन्तु प्रत्यर्थीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। प्रत्यर्थी का नाम संवत् 2012 की जमाबंदी में नहीं है, इस कारण वह गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, केवल मात्र कोलोनी एरिया घोषित होने व नहर आने के कारण नाजायज कब्जा किया गया है, इस कारण अतिक्रमी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा–22 के तहत् प्रस्तुत नोटिस से उसका कब्जा काश्त संवत् 2054 से पूर्व का साबित नहीं होता है। आगे यह भी निवेदन किया कि खसरा संख्या 15 रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा बाबत् मिलान क्षैत्रफल प्रत्यर्थीगण ने पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित रकबा पूर्व रकबा का भाग हो, रेकार्ड में दर्ज भूमि अन्दाजन थी जो संवत् 2019 के पुख्ता बन्दोबस्त में ग्राम खारा की खसरा संख्या 246 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा दर्ज हुआ उसका गैर खातेदारी वादी को दिया गया है। इस प्रकार समरी रिकार्ड में दर्ज भूमि को नहीं माना जा सकता है एवं प्रत्यर्थीगण ने वाद गलत एवं मिथ्या कथनों के आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने डिक्री करने में गंभीर त्रुटि कारित की है तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलार्थी राज्य सरकार की अपील खारिज करने एवं वादी के डिक्री की पुष्टि करने में गंभीर तथ्य व विधि संबंधी त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 1–12–1999 व 25–6–2004 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं बार–बार आवाजें लगाने के उपरांत भी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध पूर्व में जरिये आदेश दिनांक 16–12–2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से यह मुख्य आक्षेप लगाया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–15 एएए के तहत् प्रत्यर्थी वादी को इंदिरा गांधी

नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु उक्त अधिनियम के प्रांरभ के समय से अपने नाम दर्ज राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जो कि प्रत्यर्थी वादी ने पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी वादी अपने पक्ष में वाद साबित करने में असफल रहे है। अतः उक्त प्रावधान के तहत् वादी का वाद खारिज किया जाये। उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–15 ककक की उपधारा–2(क) का अवलोकन वांछनीय है, जिसके अनुसार–

''(2–क) धारा 15–क में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के भीतर खुदकाश्त के उप अधिकारी या अधिधारी के रूप में भिन्न भूमि के खुदकाश्त का धारक था या भूमि का अभिधारी था, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर अभिलिखित था या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 106 और 107 के अधीन संचालित सर्वेक्षण या पुनसर्वेक्षण और अभिलेख संक्रियाओं के दौरान तैयार किये गये अधिकारों के अभिलेख में बाद में दर्ज किया गया हो, समस्त अधिकारों का हकदार होगा और इस अधिनियम के अधीन, उसके द्वारा धारित भूमि के ऐसे संपूर्ण भाग या अंश के संबंध में जो भूमि के उस अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो जिसका वह राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) के उपबंधों के अनुसार, धारित करने का हकदार होता, खातेदार अभिधारी के रूप में समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा।''

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी प्रत्यर्थी ने अपने वादपत्र के समर्थन में योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम टावरीवाला की चतुर्थ वर्षीय खसरा गिरदावरियां प्रदर्श–1 संवत् 2015–18, प्रदर्श–2 संवत् 2021–24, प्रदर्श–3 संवत् 2025–28, प्रदर्श–4 संवत् 2029–32, प्रदर्श–5 जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम टावरीवाला संवत् 2017–20, प्रदर्श–6 संवत् 2021–24, प्रदर्श–7 संवत् 2025–28, प्रदर्श–8 संवत् 2029–32, प्रदर्श–9 संवत् 2033–36, प्रदर्श–10 ढालबांछ ग्राम टावरीवाला संवत् 2015–20, प्रदर्श–11 संवत् 2021–32, प्रदर्श–12 संवत् 2033, प्रदर्श–13 नकल नक्शा मिलान गत व हाल सन् 1962–63, प्रदर्श–14 ग्राम खारा संवत् 2019, प्रदर्श–15 धारा–22 का नोटिस दिनांक 22–09–98 संवत् 2055, प्रदर्श–16 फसल रबी संवत् 2054 इत्यादि दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये, किन्तु प्रत्यर्थी वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो दिनांक 15 अक्टूबर, 1955 (अर्थात्– विक्रम संवत् 2012) से प्रवृत्त हुआ, तत्समय दिनांक अर्थात् संवत् 2012 का कोई

रिकार्ड ऑफ राईट अथवा जमाबंदी की प्रति पेश नहीं की गई है, जिससे यह जाहिर हो सके कि प्रत्यर्थी वादी के पिता सिमरथसिंह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की दिनांक को विवादित भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज हो। इस प्रकार उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे प्रत्यर्थी वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया एवं ना ही अपील के स्तर पर पेश किया गया है एवं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अभाव में प्रत्यर्थी वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–15एएए की उपधारा (2–क) के तहत् यह दर्शित करने में असफल रहा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दिनांक को विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी वादी द्वारा पेश किये गये बाद के दस्तावेजात को सही माने जाने का प्रिजम्पशन वादी के हक में मानते हुए विवादित भूमि का खातेदार वादी प्रत्यर्थी को घोषित किया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी वादी द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरियों को रिकार्ड ऑफ राईट्स की श्रेणी के तहत् आधारभूत दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। चूंकि उक्त प्रकरण वर्ष 2004 से लंबित होकर करीब 20 वर्ष पुराना प्रकरण है तथा न्यायालय द्वारा समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रत्यर्थी अनुपस्थित रहे है। ऐसे स्थिति में हमारे विनम्र मत में योग्य विचारण न्यायालय ने उक्त आधारभूत दस्तावेज के अभाव में प्रत्यर्थी वादी का वाद डिक्री करने में तथा योग्य प्रथम अपील न्यायालय द्वारा योग्य विचारण न्यायालय की पुष्टि करने में विधि संबंधी त्रुटि कारित की है।

6– इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना ने अपना निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01–12–1999 वादी के हक में पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेन ने अपने निर्णय दिनांक 25–06–2004 से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7— परिणामतः हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर योग्य विचारण न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01—12—1999 तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25—06—2004 अपास्त किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(पुरूषोत्तम लाल सैनी)**
**सदस्य**

**(आर.डी. मीणा)**
**सदस्य**